रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270190
CG-DL-E-17022026-270190

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 776]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947
No. 776]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 234 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड(।।), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 29 के 30+000 किमी0 से 88+400 किमी. तक के भूखण्ड (वाराणसी - गाजीपुर खण्ड) के निर्माण (चैड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरंक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24 जनवरी, 2026 को "दैनिक जागरण" और "दी टाईम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रुप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमो से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के किमी0 30+000 से किमी0 88+400 तक (वाराणसी-गाजीपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: ग़ाज़ीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गाज़ीपुर सदर					
गांव का नाम:					
1	14	निजी (निजी)	कृषि	0.056	श्री जयराम पुत्र फूलचन्द, श्री जोखू पुत्र मोतीलाल, श्रीमती बवुनी देवी पत्नी फूलचन्द
Total				**0.056**	

[फा. सं. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 814(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 234 (E), dated the 15th January, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 29 on the stretch of land from Km. 30+000 to Km. 88+400 (Varanasi – Gazipur Section) in District Gazipur in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Jagaran" and "The Times of India", both dated the 24th January 2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas an objection filed under Section 3C has been received by the competent authority, which has been duly considered and properly disposed of;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the additional land to be acquired with or without structure failing within the stretch of land from Km. 30.000 to Km. 88.400 (Varanasi-Gazipur Section) of the National Highway No. 29 in the Ghazipur District, state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			**District: GHAZIPUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Ghazipur sadar					
Village: Arsadpur					
1	14	Private	Agriculture	0.056	Sri Jairam S/o Phoolchand, Sri Jokhu S/o Motilal, Smt Bavuni Devi W/o Phoolchand
			Total	**0.056**	

[F. No. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.17 12:21:55 +05'30'